



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FS 449324

### पार्टनरशिप डीड

यह पार्टनरशिप डीड आज दिनांक 30/09/2020 को निम्नलिखित व्यक्तियों के मध्य तैयार हुई।

1- ज्योति पुत्री देवेन्द्रसिंह निवासी 31/223, कटघर पुरानी राजामंडी आगरा

----प्रथम पक्ष/ साझेदार

2- विशाल कुमार कर्दम पुत्र देवेन्द्रसिंह निवासी 31/223, कटघर पुरानी राजामंडी आगरा

---द्वितीय पक्ष / साझेदार

जैसा कि उपरोक्त सभी पक्ष फर्म के नाम मै० श्रीकृष्णा मैडीकल स्टोर के नाम से रिटेल औषधि का व्यापार करने के लिए सहमत है परन्तु सभी साझेदारों की आपसी सहमति से फर्म के



*Handwritten signature*  
30-9-20

*Handwritten signature*  
30/9/2020



2

FS 449325




मुख्य व्यवसाय को कभी भी परिवर्तित किया जा सकता है।  
जैसा कि उपरोक्त फर्म के मुख्य व्यवसाय की प्रकृति-फर्म द्वारा रिटेल में अंग्रेजी औषधियों की खरीद/बिक्री का संचालन किया जायेगा।

जैसा कि उपरोक्त सभी पक्ष ऊपर लिखे कारोबार करने की निम्नलिखित शर्तों के तहत आपसी सहमति व्यक्त की है जिससे कि प्रत्येकपक्ष को अपने-अपने अधिकार एवं कर्तव्य ज्ञात रहे।

1- यह कि साझेदारी फर्म मै० श्रीकृष्णा मैडीकल स्टोर दुकान नं० 48/1ए, चौहान मार्केट खतौना रोड, लोहामंडी आगरा है।

यह कि फर्म के उपरोक्त सभी कार्य जैसे-फर्म द्वारा रिटेल में अंग्रेजी औषधियों की खरीद/बिक्री का संचालन दिनांक 30/09/2020



30-9-20

30/09/2020





3

किया जायेगा। सभी पक्ष साझेदार अपनी आपसी सहमति से एक दूसरे की सलाह से फर्म में अन्य व्यवसाय भी कर सकेंगे।

3- यह कि फर्म की समयावधि (कार्यकाल) साझेदारों की इच्छा पर निर्भर है।


4- यह कि फर्म का खाता किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में फर्म के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन फर्म के दोनों साझेदारों के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

5- यह कि फर्म की ओर से होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी एवं व्यापार से संबंधित कार्यवाही फर्म



*Y. K. Singh*  
30-4-20

*Vishal*  
30/04/2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FS 449323

4


के सभी साझेदारों द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी।

6- यह कि फर्म का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा जिसमें फर्म की लाभ हानि निकाली जावेगी।

7- यह कि फर्म के सभी साझेदार निम्न प्रतिशत के हिसाब से फर्म में पूँजी लगाने, ब्याज प्राप्त करने एवं लाभ-हानि के साझेदार होंगे:-

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 1- ज्योति            | प्रथम पक्ष 60 प्रतिशत   |
| 2- विशाल कुमार कर्दम | द्वितीय पक्ष 40 प्रतिशत |

8- यह कि फर्म की गुडविल सभी पक्षों के पास समान रूप से रहेगी।



*Signature*

30/9/2020





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FS 449326

5

9- यह कि फर्म का कोई साझेदार ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे

कि फर्म को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई नुकसान होवे।

10- यह कि फर्म किसी भी प्राइवेट व्यक्ति, संस्थानों, प्रतिष्ठानों, बैंकों आदि से ऋण अनुदान लेने व देने के लिए अधिकृत है जो सभी पक्षों की आपसी सहमति से होगा।

यह कि प्रत्येक भागीदार फर्म में लगायी गयी पूँजी पर 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लेने का हकदार है, यह ब्याज की दर या अधिक फर्म में मुनाफा व घाटा होने पर आपसी सहमति से घटाई-बढ़ाई जा सकती है। यह ब्याज शुद्ध लाभ अथवा

नुकसान जो कि भागीदारों में आपस में विभाजित होगा, उससे पूर्व



30/09/2020



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

6

FS 449327

दी जावेगी। तथा यह ब्याज ऐसी समझी जायेगी जैसा कि

व्यापारिक खर्च अथवा लाभ है तथा फर्म के सभी साझेदार सक्रिय रूप से फर्म में कार्य करेंगे।

11- यहकि फर्म से यदि कोई पक्ष अलग होना चाहता है तो उसकी सूचना के एक माह बाद फर्म की लाभ हानि निकालकर उस पक्ष का पैरा नं० 7 के अनुसार उसका हिसाब कर दिया जायेगा। फर्म का विघटन किसी भी दिशा में न होगा बल्कि फर्म पूर्ववत् कार्य करती रहेगी।

12- यह कि पार्टनरशिप डीड पर मध्यस्ता अधिनियम 1932 के प्रोवीजन भी लागू होंगे परन्तु सभी पक्ष निम्नलिखित के लिए अधिकृत हैं।



*YK Singh*  
30-9-20

*Vishal*  
30/09/2020





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FS 449328

7

(ए) व्यापार में झगड़ा होने पर मध्यस्थ व्यक्ति के समक्ष ले जाने के लिए

(बी) फर्म के द्वारा वाद को वापिस लेने अथवा दावा करने के लिए एवं वाद को दाखिल करने के लिए।

(सी) फर्म के आधार पर क्लेम प्राप्त करने तथा क्लेम पर सुलहनामा करने के लिए

13- यह कि अन्य कोई बात जो कि इस पार्टनरशिप डीड (साझेदारी प्रपत्र) पर मध्यस्थता अधिनियम के प्रोवीजन भी लागू होंगे।

यह पार्टनरशिप डीड आज दिनांक 30/09/2020 को हम

सभी साझेदारों ने खूब सोच विचार कर बिना किसी नशीली वस्तु



*[Signature]*  
30-9-20

*[Signature]*  
30/09/2020

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

CA 914464

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

8

के सेवन किये यह पार्टनरशिप डीड लिख दी है जिससे कि सनद  
रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर काम आवे।


गवाहान:-

ह0 प्रथम साझेदार . JK Singh  
30/9/20

1-

ह0 द्वितीय साझेदार ✓ J Singh  
30/9/20

2-



80/9/2020  
**ATTESTED**  
Smt. Manjima Sharma  
Notary Public  
Reg. No. 1500  
Notary Govt. of India  
Collectorate Distt, Agra